कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्याः—2668/FP/UK/ROAD/12710/2015 देहरादूनःदिनांकः 09 मार्च, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय–एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– बागेश्वर–बालीघाट–धरमधर मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/12710/2015 महोदय.

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3114/12–1 दिनांक 19–02–2016 से भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना ऑन लाईन इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण		
1.	SOI Toposheet map attached with part I C is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। Toposheet map संलग्न कर सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।		
2.	Employment to be generation not mentioned in part-1 E	Employment generation was shown as Nill in part-1 due to typing mistake Employment will generate during construction of road.		
3.	State Govt. Land proposed for muck disposal but legal status and area of this is not mentioned. May provide this in area proposed for diversion if this land is forest land.	मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौ0 में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिंग जोन जिनकी चौ0 1.50 मी0 है, तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊ0 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौ0 में किया जायेगा तथा इसके पश्चात् खडडे साईड में स्थित 1.50 मी0 चौ0 डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 03 डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड में 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौ0 में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौ0 में सम्मिलित है।		
4.	In part II 210 tree shown involved in forest land but in the list of tree attached in part I 105 tree shown on forest land	Correction has been done in part II accordance with the actual figures of trees affected in the proposed land.		
5.	In column 15 of part II date of site inspection mentioned as 08-06-2015. But in the site inspection report it is mentioned and recommended in SIR is 1.48 ha whereas the proposal is for diversion of 0.63 ha. column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	Amemded site inspection report has been uploaded in the site inspection section of online form A part II.		
6.	105 trees are proposed to be felled over an area of 0.63 ha. which also includes 56 oak trees efforts may be made to reduce the no of trees.	The said numbers of trees are not the affected figures of trees involved over the forest land proposed for diversion, out of which 38 oak trees are enumerated in the village forest and revenue forest whereas 18 oak trees affecte in the Nap land.		
7.	Instead of recommendation of DFO site Inspection report has been attached.	Correction has been done in the online form A part II.		
संलग्	संलग्नःयथोपरि।			

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा। Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , 🖀 (05962) 231099 Fax : 230397

12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 2016. पत्रांक - 3114 1

19/2

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून।

बागेश्वर-बालीघाट-धरमधर खनतोली मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 12710/2015) विषय :--

संदर्भ :--आपकी आपत्ति दिनांक 02.11.2015।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 02.11.2015 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 1743/12-1 दिनोंक 02.11.2015 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 2338/12-1 दिनांक 15.02.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	SOI Toposheet mao attached with part I C is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। Toposheet map .संलग्न कर सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।
2	Employment to be generation not mentioned in part-1E.	Employemt generation was shown as Nill in part-1 due to typing mistake Employment will generate during construction of road.
3	State Govt. Land proposed for muck disposal but legal status and area of this is not mentioned. May provide this in area proposed for diversion if this land is forest land.	मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौ0 में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिग जोन जिनकी चौ0 1.50 मी0 है, तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊ0 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी चौ0 में किया जायेगा। तथा इसके पशचात् खडडे साईड में स्थित 1.50 मी0 चौ0 के डम्पिग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 03 डम्पिग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड में 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौ0 में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0चौ0 में सम्मिलित है।
4	In part II 210 tree shown involved in forest land but in the list of tree attached in part I 105 tree shown on forest land.	Correction has been done in part II accordance with the actual figures of trees affected in the proposed land.
5	In column 15 of part II date of site inspection menrioned as 08-06- 2015. But in the site inspection report it is mentioned and recommemded in SIR is 1.48ha whereas the prposal is for diversion of 0.63 ha column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	Amemded site inspection report has been uploaded in the site inspection section of online form A part II.
6	105 trees are prosed to be felled over an area of 0.63 ha. Which also includes 56 oak trees efforts may be made to reduce the no of trees.	The said numbers of trees are not the affected figures of trees involved over the forest land proposed for diversion, out of which 38 oak trees are enumerated in the village forest and revenue forest whereas n18 oak trees affected in the Nap land.
7	Instead of recommendation of DFO site Inspection report has been attached.	Correction has been done in the online form A part II.

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय वन सरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटरं- 9208008000

पत्रांक 233 81 12-1-2 सेवा में,	बागेश्वर	दिनांक : 15/ 0 <u>)</u> /2015
वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।		

आनलाईन प्रस्ताव बागेश्वर-बालीघाट-धरमघर खनतोली मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या विषय -12710/2015)| * *

आपका पत्रांक 1743/12-1 अल्मोड़ा दिनॉक 02.11.2015 सन्दर्भ-

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि बागेश्वर-बालीघाट-धरमघर खनतोली मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने स्तर से बिन्दु संख्या 1,2,3,व बिन्दु संख्या 4,5,6,7,का निराकरण इस कार्यालय से कर निम्नानूसार प्रेषित किया जा गया है ।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	SoI Toposheet map attached with part I C is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। Toposheet map संलग्न कर सुलभ संन्दर्भ हेतु प्रेषित हैं
2	Empoyment to be generation not mentioned in part I E.	Empoyment generation was shown as Nill in part-1 due to typing mistake. Employment will generate during construction of road.
3	State Govt. land proposed for Muck disposal but legal status and area of this is not mentioned. May provide this in area proposed for diversion if this land is forest land	मोटर मार्ग र्निमाण हेतु 9.00 मी0 चौ0 में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिग जोन जिनकी चौ01.50मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊ0 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग र्निमार्ण 6.00 मी चौ0 मे किया जायेगा तथा इसके पश्चात खडड साईड में स्थित 1.50 मी0 चौ0 के डम्पिग जोन मे मलवा निस्तारण किया जायेगा । इस प्रकार समस्त 03 डम्पिग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड में 1.50 मी0 कुल 7.50मी0 चौ0में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0चौ0 में सम्मिलित हैं।
4	In part II 210 tree shown	Correction has been done in part II

involved in forest land but in the list of tree attached in part I 105 tree shown on	
forest land	
In column 15 of part II date of site inspection mentioned as 8.6.2015 but in the site	uploaded in the site inspection section of
mentioned as	
mentioned and	; *
1.485ha whereas the	
0.63 ha. Column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	
105 Trees are proposed to be felled over an area of 0.63 ha. which also	The said numbers of trees are not the affected figures of trees involved over the forest land proposed for diversion, out of which 38 oak
Includes 56 oak trees. Efforts may be made to reduce the no. of trees.	trees are enumerated in the Village forest and Revenue forest whereas 18 oak trees affected in the Nap land.
Instead of Recommendation of DFO. Site Inspectiion report has been attached	
	in the list of tree attached in part I 105 tree shown on forest land In column 15 of part II date of site inspection mentioned as 8.6.2015 but in the site inspection report it is mentioned as 11.05.2015.the area mentioned and recommended in SIR is 1.485ha whereas the proposal is for diversion of 0.63 ha. Column 5.4 and 5.5 of SIR not filled. 105 Trees are proposed to be felled over an area of 0.63 ha. which also Includes 56 oak trees. Efforts may be made to reduce the no. of trees. Instead of Recommendation of DFO. Site Inspectiion report has

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे ।

भवदीय,) (एम०ब्री०सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

¥

E.Mail . ee	कार्यालय अधिशास निर्माण खण्ड, लो०नि pwdkapkot@rediffmail.com	
पत्रांक सेवा में,	222/30/2 2230/250	दिनांक 18 /12/2015
संया म,	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, बागेश्वर	
विषयः—	बागेश्वर-बालीघाट-धरमघर खन्तोली मोट	र मार्ग (प्रस्ताव सं० 12710/2015)
सन्दर्भः–	वन संरक्षक अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 1743/	12-1 अल्मोड़ा दिनांक 02.11.2015

महोदय,

MIO

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक सं0 976(1) / X-4-15/1(495)/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। वन संरक्षक अल्मोड़ा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियॉ लगायी गयी हैं।

अतः बिन्दु सं0 1, 2 एवं 3 में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तृति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित किया जा रहा है।

पर रारपुरा राहरा जावने जापरपेप पंगपपाहा हरू प्रापत पिया जा रहा ह।		
बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	So I Toposheet map attached with part I c is very dim and not legible may upload again.	Toposheet map पुनः अपलोड कर दिया गया है। (Toposheet map संलग्न कर सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।
2	Empoyment to be generation not mentioned in part I E.	Empoyment generation was shown as Nill in part- I due to typing mistake. Employment will generate during construction of road.
3	State Govt. land proposed for Muck disposal but legal status and area of this land is not mentioned. May provide this information and include this in area proposed for diversion if this land is forest land.	मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 03 डम्पिंग जोन जिनकी चौडाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये है। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौडाई मे किया जायेगा तथा इसके पश्चात खडड साईड मे स्थित 1.50 मी0 चौडाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 03 डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड मे 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौडाई मे भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में सम्मिलित है।

3148 12-1-2 21-01-16

	(2)	
4	In part II 210 tree shown involved in forest land but in the list of trees attached in part I 105 tress shown on	Filled in DFO office
	forest land.	D'lled in DEO office
5	In column 15 of part II date of site inspection mentioned as 8.6.2015 but in the site inspection report it is mentioned as 11.05.2015. the area mentioned and recommended in SIR is 1.485 ha whereas the proposal is for diversion of 0.63ha. column 5.4 and 5.5 of SIR not filled.	
6	105 trees are proposed to be felled over an area of 0.63ha which also including 56 oak trees. Efforts may be made to reduce the no. of trees.	Filled in DFO office
7	Instead of Recommendation of DFO Site Inspection report has been attached.	Filled in DFO office

भवदीय, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, कपकॉट ड्रा1215

पत्रांक

1

दिनांक / 12 / 2015

प्रतिलिपि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को उनके पत्रांक सं0 1743/12–1 अल्मोड़ा दिनांक 02.11.2015 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

> अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, कपकोट



